न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

(श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :–361/2023 निर्णय दिनांक :– 04.03.2024

अर्चना शर्मा पत्नि राजेन्द्र प्रसाद जाति ब्राहम्ण उम्र बालिग निवासी प्लाट नम्बर 263/449 सेक्टर 11, प्रतापनगर सांगानेर जयपुर जिला जयपुर राज0 –प्रार्थीया–

बनाम

तहसीलदार महोदय नगरफ़ोर्ट जिला टोंक राज0।

–अप्रार्थी–

उपस्थितिः–

श्री राजेश जैन तहसीलदार नगरफोर्ट

अधिवक्ता प्रार्थीया

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 ए राज0 टीनेन्सी एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 77 खसरा नम्बर 796/143 रकबा 0.85 है0 एवं खाता संख्या 73 खसरा नम्बर 794/143 रकबा 0.85 है0 वाके ग्राम गेरोटी पटवार हल्का चारनेट तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0 में स्थित है। राजस्व रिकार्ड मे आराजी खसरा नम्बर 138 गै. मु. रास्ता एवं खसरा नम्बर 142/696 एवं खसरा नम्बर 140/704 सिवायचक भूमि दर्ज है जो वाके ग्राम गेरोटी में स्थित है। उक्त आराजीयात वर्तमान मे राज्य सरकार के नाम है। प्रार्थीया अपनी उक्त वर्णित खातेदारी की आराजी भूमि पर गै. मु. रास्ता खसरा नम्बर 138 से सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 142/696 एवं खसरा नम्बर 140/704 मे से होकर वर्षो से आती जाती रही है तथा वर्तमान मे भी उपयोग उपभोग करती आ रही है तथा अपने कृषि संबंधी यन्त्र भी इसी रास्ते से होकर लाती ले जाती है तथा वर्तमान मे उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीया के खेत मे जाने का अन्य कोई वेकल्पिक रास्ता नही है। राजस्व रिकार्ड मे आने जाने का रास्ता नही होने के कारण प्रार्थीया को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा अपनी भूमि को काश्त नही कर पा रही है। प्रार्थीया की भूमि पड़त रह जाती है जिससे प्रार्थीया को काफी

आर्थिक नुकसान होता है। प्रार्थीया को अपनी उक्त वर्णित आराजीयात पर आने जाने के लिये गै. मु. रास्ता खसरा नम्बर 138 से सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 142/696 एवं खसरा नम्बर 140/704 मे से होकर 30 फीट चोडा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है. जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीया नियमानुसार एवं आदेशानुसार राशि जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र अं0 धारा 251 ए राज0 टीनेन्सी एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 77 खसरा नम्बर 796/143 रकबा 0.85 है0 एवं खाता संख्या 73 खसरा नम्बर 794/143 रकबा 0.85 है0 वाके ग्राम गेरोटी पटवार हल्का चारनेढ तहसील नगरफोर्ट जिला टोक राज0 पर आने जाने के लिये गै. मु. रास्ता खसरा नम्बर 138 से सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 142/696 एवं खसरा नम्बर 140/704 में से होकर 30 फीट चोडा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी तहसीलदार द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जिसके अनुसार प्रार्थीया की आराजी के ख. नं. 796/143 रकबा 0.85 है0 ख. नं. 794/143 रकबा 0.85 है0 पर पहुंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीया को रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक हैं ग्राम गेरोटी का ख. नं. 138 रकबा 0.80 है0 किस्म गै. मु. रास्ता सिवायचक खाते में दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम गेरोटी के सिवायचक खसरा नम्बर 142/696 रकबा 1.25 हैक्टेयर में से 9.14 मीटर (30फीट) चौडाई एवं 118 मीटर लम्बाई से क्षेत्रफल 1078.52 वर्गमीटर तथा सिवायचक खसरा नम्बर 140/704 रकबा 1.00 है0 में से 9.14 मीटर चौडाई (30 फीट) एवं 138 मीटर लम्बाई से क्षेत्रफल 1261.32 वर्गमीटर यानि कुल 1078.52 + 1261.32= 2339.84 वर्गमीटर यानि 2340 वर्गमीटर भूमि के क्षेत्रफल का रास्ता प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित रास्ते के ख. नं. 138 से शुरू होकर बिसलपुर परियोजना की दायी मुख्य नहर जिस पर पुलिया बनी होना अंकित किया है जिसको क्रॉस करता हुआ बिसलपुर माइनर जिस पर पाइप रखा होना अंकित किया है। रास्ता आगे खातेदारी तक पहुंचेगा। रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि कृषि भूमि की दर 347745 रूपये प्रति हेक्टेयर

Scanned with OKEN Scanner

प्रति वर्गमीटर की दर 34.7745 रूपये होती है। इसकी दुगनी दर 69.549 रूपये से 2340 वर्गमीटर की प्रतिकर राशि 162745/– रूपये (अक्षरे एक लाख उनतालीस हजार आठ सौ उनचास रूपये) होती है। डीएलसी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। प्रार्थीया की आराजी खसरा नम्बर 796/143 रकबा 0.85 है०, खसरा नम्बर 794 / 143 रकबा 0.85 हेक्टेयर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीया सिवायचक खसरा नम्बर 142/696, 140/704 में से रास्ता चाहती है प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से दर्शाया गया है। नक्शा ड्रेस संलग्न प्रेषित है। वर्तमान में प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना जैसे पैड, दीवार आदि स्थित नहीं है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है। माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार एव उपरोक्तानुसार वर्णित प्रतिकर राशि राजकोष में जमा करवाने पर रास्ता नियमानुसार दिया जाना उचित है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है।

अतः वाछित मौका रिपोर्ट आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

उक्त रिपोर्ट का अवलोकन अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र दुरूस्त किये जाने प्लिडिंग पेश किया जिसे स्वीकार किया गया।

तहसीलदार नगरफोर्ट को पुनः मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया।

तहसीलदार नगरफोर्ट ने पुनः कमांक/राजस्व/ 2024/533 दिनांक 27.02.20204 से प्रेषित की जिसके तथ्य इस प्रकार है:– प्रार्थीया की आराजी के खसरा नम्बर 796/143 रकबा 0.85 है0, खसरा नम्बर 794/143 रकबा 0.85 है0 पर पहुँचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होना अकित किया है। वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रार्थीया की रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक है। ग्राम गैरोटी में दायी मुख्य नहर के सहारे सहारे ग्रेवल रोड बनी हुई है। जिसका उपयोग सार्वजनिक रूप से रास्ते के रूप में किया जा रहा है। उस ग्रेवल रोड से शुरू होकर ग्राम गैरोटी के सिवायचक खसरा नम्बर 142/696 रकबा 1.25 हैक्टेयर में से 9.14 मीटर (30फीट) चौडाई एवं 82 मीटर लम्बाई से क्षेत्रफल 749.48 वर्गमीटर तथा सिवायचक खसरा नम्बर 140/704 रकबा 1.00 है0 में से 9.

मीटर चौडाई (30 फीट) एवं 138 मीटर लम्बाई से क्षेत्रफल 1261.32 वर्गमीटर ानि कुल 749.48 + 1261.32 = 2010.80 वर्गमीटर यानि 2010 वर्गमीटर भूमि के क्षेत्रफल का रास्ता प्रस्तावित किया गया है। अतः दायी मुख्य नहर ग्रेवल रोड से शुरू होकर खसरा नम्बर 142/696 रकबा 1.25 है0 किस्म बारानी 1 खसरा नम्बर 704 रकबा 1.00 है0 किस्म बारानी 1 में से प्रार्थी की मांग के अनुसार चौडाई 30 फीट यानि 9.14 मीटर चौडाई का रास्ता प्रस्तावित किया गया है। मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त रास्ता बीसलुपर परियोजना की दायीं मुख्य नहर के सहारे ग्रेवल रोड रास्ते से शुरू होकर आगे माइनर बना हुआ है। जिसको क्रॉस करता हुआ निकलेगा एवं माइनर में पानी निकासी हेतु पाइप रखा हुआ है। आगे रास्ता खातेदारी तक पहुंचेगा। रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि कृषि भूमि की दर 347745 रूपये प्रति हेक्टेयर से प्रति वर्गमीटर की दर 34.7745 रूपये प्रतिवर्ग मीटर होती है। इसकी दुगनी दर 69.549 रूपये से 2010.80 वर्गमीटर की प्रतिकर राशि 139849/— रूपये (अक्षरे एक लाख उनतालीस हजार आठ सौ उनचास रूपये) होती है। डीएलसी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। प्रार्थीया की आराजी खसरा नम्बर 796/143 रकबा 0.85 है०, खसरा नम्बर 794/143 रकबा 0.85 हेक्टेयर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीया सिवायचक खसरा नम्बर 142/696, 140/704 में से रास्ता चाहती है प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से दर्शाया गया है। नक्शा ड्रेस संलग्न प्रेषित है। वर्तमान में प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना जैसे पैड, दीवार आदि स्थित नहीं है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है। माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार एव उपरोक्तानुसार वर्णित प्रतिकर राशि राजकोष में जमा करवाने पर रास्ता नियमानुसार दिया जाना उचित है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण व पेरोकार सरकार से बहस सुनी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार नगरफोर्ट ने भी अपनी रिपोर्ट में यह माना कि प्रार्थी के पास उसकी आराजी को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है और प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी पर पहुंचने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। जिसके कारण प्रार्थी को

आराजी में पहुंचने हेतु सरकार से सिवायचक भूमि से रिकॉर्डेड रास्ता चाहिए ताकि प्रार्थी अपनी आराजी भूमि में आसानी से पहुंच सके और कृषि कार्य कर सके। प्रार्थी इसके लिए दुगनी प्रतिकर राशि जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थी को अपनी आराजी में पहुंचने के लिए तहसीलदार नगरफोर्ट की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में बताया कि रिपोर्ट के तथ्यो को ही दोहराया।

न्यायालय में पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार नगरफोर्ट की रिपोर्ट संलग्न जमाबंदी व नक्शा ट्रेस अनुसार ग्राम गेरोटी के आराजी ख. नं. जमाबंदी सम्वत 2073–76 के अनुसार 796/143 रकबा 0.85 है0 व 794/143 रकबा 0. 85 है0 प्रार्थीया की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। तहसीलदार नगरफोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक बताई है और आवेदित रास्ते के मध्य कोई संरचना पेड़, दीवार नही बताया है। प्रस्तावित भूमि अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं बताई है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 796/143 रकबा 0.85 है0, खसरा नम्बर 794/143 रकबा 0.85 है0 वाके तनग्राम नगर पटवार हल्का चारनेट तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक में जाने के लिए गै. मु. रास्ता खसरा नम्बर 138 से सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 142/696 एवं खसरा नम्बर 140/704 मे से होकर 30 फीट चोडा रास्ते की प्रार्थना की है। तहसीलदार नगरफोर्ट द्वारा भी प्रा. पत्र अनुसार रास्ता प्रस्तावित किया गया है। संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र संख्या प.3(52)राज/6/12/4 दिनांक 14.06.13 के अनुसार राजकीय भूमि में से 30 फीट चौड़ा रास्ता खातेदार की आराजी पर पहुंच हेतु कृषि दरो का दुगना प्रतिकर लिया जाकर रास्ते के रूप में अभिलिखित करने के आदेश जारी किये गये है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार नगरफोर्ट को आदेशित किया जाता है कि रिपोर्ट दिनांक 27.02.24 व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित अनुसार ग्राम गैरोटी

Scanned with OKEN Scanner

...ल रोड से शुरू होकर ग्राम गैरोटी के सिवायचक खसरा नम्बर 142/696 रकबा 1.25 हैक्टेयर में से 9.14 मीटर (30 फीट) चौडाई एवं 82 मीटर लम्बाई से क्षेत्रफल 749.48 वर्गमीटर तथा सिवायचक खसरा नम्बर 140/704 रकबा 1.00 है0 में से 9.14 मीटर चौडाई (30 फीट) एवं 138 मीटर लम्बाई से क्षेत्रफल 1261.32 वर्गमीटर यानि कुल 749.48 + 1261.32 = 2010.80 वर्गमीटर यानि 2010 वर्गमीटर भूमि के क्षेत्रफल के रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि, कृषि भूमि की दर 347745 रूपये प्रति हेक्टेयर से प्रति वर्गमीटर की दर 34.7745 रूपये, इसकी दुगनी दर 69.549 रूपये प्रति वर्ग मी. से 2010.80 वर्गमीटर की प्रतिकर राशि 139849/– रूपये जमाकर अथवा पुनः गणना कर वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि जमा कर, राजस्व रिकॉर्ड में गै. मु. रास्ता सिवायचक के रूप में अमल दरामद करे। पत्रावली नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 04.03.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner